न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 5/2023 निर्णय दिनांक :–30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी–

बनाम

रतना पुत्र रामदयाल जाति माली निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–
पेरोकार सरकार

इकबालिया जवाब
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी रघुवीर पुत्र उगमा जाति माली को दिनांक 06.01.1983 को ग्राम थंवला में खसरा नम्बर 1569 रकबा 2 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 3765 रकबा 0.63 है0 दर्ज किया गया। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से खसरा नम्बर 3765 रकबा 0.63 है0 के नये ख. नं. 3186 रकबा 0.63 है0 दर्ज किया गया। उक्त गैर खातेदार को ग्राम थांवला खसरा नम्बर 3186 रकबा 0.63 है0 मे से रकबा 0.50 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख0न0 3348/3186 रकबा 0.13 किस्म बारानी तृतीय गैर खातेदार रतना पुत्र रामदयाल माली के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आंवटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 मे अंकित भूमि मे सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी व अप्रार्थी के पुत्र ने उपस्थित होकर हस्ताक्षर आदेशिका पर लिखा कि हमें कोई आपति नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तकरण पंजिका ग्राम थांवला के कॉलम संख्या 10, 11 व 12, 14 में रतना पुत्र रामदयाल माली सा. देह गेर खातेदार ख. नं. 1569 रकबा 2 बीघा राजस्व अभियान दिनांक 06.01.83 की मिटिंग में आवंटन हुआ। बाद भू-प्रबन्ध ख. नं. 1569 में क्षेत्रफल 2 बीघा के नये ख. नं. 3765 रकबा 0.63 है0 बनाये गये। ग्राम थावंला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से ख. नं. 3765 रकबा 0.63 है0 से नये हाल ख. नं. 3186 रकबा 0.63 है0 बनाये गये। जबकि 2 बीघा का है0 मे परिवर्तन करने पर 0.50 है0 होते है अर्थात अप्रार्थीगण के खाते में 0.50 है0 के स्थान पर 0.63 है0 भूमि लगा दी गई, जो कि 0.13 है0 अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. थांवला के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 पर ख. नं. 3186 के नये ख. नं. 3347/3186 रकबा 0.50 है0 व ख. नं. 3348/3186 रकबा 0.13 है0 बनाकर अप्रार्थी को ख. नं. 3347/3186 रकबा 0.50 है0 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा ख. नं. 3348/3186 रकबा 0.13 है0 भूमि आवंटन से 0.13 है0 अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 3348/3186 रकबा 0.13 है0 भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। उक्त बाबत अप्रार्थी व अप्रार्थी के पुत्र ने न्यायालय में उपस्थित होकर, हस्ताक्षर कर, कथन करते हुए आदेशिका पर लिखा कि हमें कोई आपति नहीं है। अतः राजस्व दस्तावेजो व अप्रार्थी की अनापति का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 3348/3186 रकबा 0.13 है0 भूमि वाके ग्राम थांवला तहसील देवली से गैर खातेदार अप्रार्थी का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली